FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0188 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/07/2026 13:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/07/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:50 बजे **Time To (समय तक):** 16:01 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/07/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/07/2026 13:51:23 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 08 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** MAKAN NO.7, AMAR NIWAS SANGARIYA SE K.K. COLONY JANE WALI, MUKHYA SADAK KUDI BHAGTASANI, HOUSING BOARD BASNI JODHPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम):

   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PRIYANKA AGRAWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): GULSHAN JANGID

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	07, AMAR NIWAS SANGARIYA SE K.K. COLONY JANE WALI MUKHY SADAK, KUDI BHAGTASANI, HOUSING BOARD BASANI JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	07, AMAR NIWAS SANGARIYA SE K.K. COLONY JANE WALI MUKHY SADAK, KUDI BHAGTASANI, HOUSING BOARD BASANI JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARDEVRAM		पिता:LATE. MANGLARAM	1. TAMBDIYA KALLA,BHOPALGARH,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान (जोधपुर) 342001 विषय- सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांग किए जाने के संबधं मे शिकायत प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थीयां प्रियंका पत्नि गुलशन जागिड़(सुथार) उम्र 31 साल पेशा गृहणी निवासी -7, अमर निवास opp होटल काशी inn रहने वाली हूं दिनांक 31.05.2026 को मेरे पति श्री गुलशन जागिड़ एवं उनके साथ काम करने वाले संजय उर्फ सुण्डाराम वगैरह के साथ ईसाईयों के कब्रिस्तान कमला नहेरू नगर स्थित पंकज के घर उधार की राशि मांगने के लिए गए थे उक्त वक्त पंकज वगैरह ने मेरे पति एवं उनके साथ गए व्यक्तियों के साथ जबरदस्त मारपीट की एवं मेरे पति के हाथ पैर तौड़ दिए जिस पर मुझें पता चलने पर मैं कमला नेहरू नगर से जानकारी मिलने पर मैं मथुरादास माथुर अस्पताल पहुची। जंहा पर मेरे पति को पुलिस थाना शास्त्रीनगर वाले पुलिस वाले अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचे एवं मेरे पति के बयान अनुसार पुलिस थाना शास्त्रीनगर जोधपुर मे मुकदमा सं. 94 दिनांक 01.06.26 दर्ज किया गया, हमारा मुकदमा दर्ज करने से पूर्व पुलिस थाना शास्त्रीनगर मे सामने वाले पक्ष ने मेरे पति व अन्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवा चुके थें। दिनांक 9.6.26 या 10.6.26 को श्री हरदेवराम asi जो हमारे मुकदमे की जांच कर रहे है हव मेरे घर मेरे पति के बयान लेने आए, बयान लेने के बाद श्री हरदेवराम ने मुकदमे मे मदद करने एवं मेरे पति के साथ गए सुन्डाराम उर्फ संजय के नाम निकालने के लिए खर्चा पानी देने हेतु कहा जिस पर मेरे पति के कहे अनुसार मैने पांच हजार/- श्री हरदेवराम को दिए। आज से करीब सात-आठ दिन पहले श्री हरदेवराम जी ने अपने फोन नं0 से मेरे पति गुलशन जागिड़ के फोन नं0 पर फोन कर थाने बुलाया जिस पर मेरे पति एवं उनके साथ काम करने वाले सुण्डाराम पुलिस थाने शास्त्रीनगर जाकर हरदेवराम जी से मिले तब हरदेवराम ने सुण्डाराम को कहा कि आपके मुकदमे मे सुण्डाराम व दो अन्य के नाम निकालने की एवज मे ci साहब के लिए पचास हजार/- रूपये देने की बात कही, उक्त बात सुण्डाराम ने घर आकर मुझे बताई जिस पर मैने श्री हरदेवराम से बात की तो उसने मेरे से भी मुकदमे मे मदद करने की एवम fr लगाने की एवज मे पचास हजार/-रूपये रिश्वत की बात की तथा राशि ci साहब को देने की बात की तत्पशचात श्री हरदेव राम ने मुझे कई बार कॉल कर पचास हजार/-रूपये मांगे तथा नही देने पर 3 माह की जेल भेजने की धमकिंया दी गई। मै मेरे जायज काम की एवज मे श्री हरदेव राम asi को या ci को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वा कर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहती हॅं उक्त कार्यवाही के लिए मेरे पति गुलशन जांगिड़ के पैरो मे फैक्चर होकर बेड रेस्ट मे होने के कारण मुझे अधिकृत किया है। रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक 29.06.26 730047330 भवदीय एसडी प्रियंका अग्रवाल पत्नि गुलशन जागिड़ उम्र 31 जाति सुथार, निवास 7 अमर निवास opp काशी बासनी (जोधपुर) एसडी सुण्डाराम पुत्र पम्पाराम विशनोई उम्र 27 वर्ष निवास भगत की कोठी, जोधपुर m एसडी विक्रम सिंह 06/07/2026 एसडी ज्ञानेशवर पुरोहित 06/07/2026 एसडी ओमप्रकाश चौधरी एएसपी कार्यवाही पुलिस दिनांक 29.06.2026 वक्त 0350 पी.एम. इस समय परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नी श्री गुलशन जागीड़ जाति सुथार उम्र 31 साल पेशा गृहणी निवास-7, अमर निवास opp होटल काशी inn बासनी जोधपुर हमारा श्री सुण्डाराम पुत्र श्री पप्पाराम विशनोई उम्र 27 वर्ष निवासी भगत की कोठी जोधपुर के मन ओमप्रकाश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित उपरोक्त तथयों की शिकायत पेश कर बताया कि श्री हरदेवराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर मेरे पति श्री गुलशन जागीड़ के द्वारा पुलिस थाना शास्त्रीनगर में दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 94/2026 में मदद करने एवं विरोधी पक्ष द्वारा मेरे पति एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज करवाये गये क्रॅास मुकदमें में नाम निकालने/एफआर लगाने की एवज में 50,000 रूपये बतौर रिश्वत राशि की मांग की जा रही है तथा राशि नहीं देने पर मेरे पति को जेल भेजने की धमकियां दी जा रही है। वगैरहा तथयों की प्राप्त शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला प्रथम दृश्टया भ्रषटाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर अग्रीम कार्यवाही एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यालय में पदस्थापित श्री उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुपुर्द कर, परिवादी व निरीक्षक पुलिस का आपस में परिचय करवाकर निरीक्षक पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर अग्रीम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा वक्त 0420 पी.

एम. पर परिवादिया की रिपोर्ट मय दस्तावेज के हमरा परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल एवं सुण्डाराम विशनोई को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आये तथा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत को तसल्ली पूर्वक पढ़कर परिवादिया से आवशयक पूछताछ की गई। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त पर बताये तथयों से प्रथम दृश्टया भ्रषटाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर अग्रीम कार्यवाही एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर महिला हैड कानि. श्रीमती मधुमति को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया एवं उन्हें बुलाने के मन्व्य से अवगत करवाकर उपस्थित परिवादिया एवं महिला हैड कानि. का आपस में परिचय करवाया गया। तथा दोनों के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गये। ताबाद कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के संचालन की विधि परिवादिया तथा महिला हैड कानि. को समझाईश की गई। ताबाद श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्टाफ की कमी होने के कारण भ्रषटाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर से श्री भूरं सिंह हैड कानि. को इमदाद हेतु कार्यालय में शीघ्र उपस्थित आने बाबत जरिये फोन निर्देशित किया गया। चूंकि परिवादिया ने बताया कि संदिग्ध कर्मचारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के बारे में उनके रहवासीय घर पर आकर ही वार्ता करेगा इसलिए रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता परिवादिया के घर पर करवाने का निर्णय लिया गया। जिस पर वक्त 0445 पी.एम. पर पूर्व से तलबिदा शुदा श्री भूरसिंह हैड कानि. एसीबी चौकी जोधपुर से मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया। जिन्हें बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर महिला हैड कानि. श्रीमती मधुमति के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन में इमदाद के तौर पर साथ रहने हेतु निर्देशित किया गया। ताबाद डीवीआर मय मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर, डीवीआर मय मैमोरी कार्ड श्रीमती मधुमति हैड कानि. को सुपुर्द कर परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल एवं उनके साथ आये श्री सुण्डाराम के साथ महिला हैड कानि. मधुमति एवं श्री भूरसिंह हैड कानि. को आवशयक हिदायत के साथ परिवादिया के बासनी जोधपुर स्थित रहवासीय मकान की ओर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिए परिवादिया की निजी वाहन से रवाना किया गया। तत्पशचात वक्त 0930 पी.एम. पर श्रीमती मधुमति हैड कानि. एवं श्री भूरंसिंह हैड कानि. रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादिया के घर पर गये हुए पुनः ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीचऑफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर श्रीमती मधुमति हैड कानि. ने बताया कि हम दोनों परिवादिया के साथ उसके घर पर पहुचें तथा कुछ देर रूकने के बाद वक्त 0542 पीएम पर परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ के मोबाईल नम्बर   का स्पीकर ऑन करवाकर संदिग्ध अधिकारी श्री हरदेवराम एएसआई के मोबाईल नम्बर   पर कॉल कर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान आरोपी अधिकारी ने परिवादिया के पति को थाने आने से मना करते हुए उनके घर आकर ही मिलने की बात कही मगर काफी समय तक इन्तजार करने एवं रात्रि का समय हो जाने पर भी संदिग्ध अधिकारी उपस्थित नहीं आने पर मन महिला हैड कानि. द्वारा आपके निर्देशानुसार परिवादिया एवं उनके पति को आवश्यक हिदायत देकर उपस्थित आये हैं साथ ही डिवीआर मय मैमोरी कार्ड को मन निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी अलमारी में लॉकर सुरक्षित रखा। दिनांक 30.06.2026 वक्त 0830 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अलमारी में अपने पास सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकालकर श्रीमती मधुमति हैड कानि. को सुपुर्द कर महिला हैड कानि. व श्री भूरसिंह हैड कानि. को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु परिवादिया के घर के लिए रवाना किया गया। उसी दिन वक्त 0400 पी.एम. पर श्रीमती मधुमति हैड कानि. मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. के मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष ब्यूरो चौकी में उपस्थित आये तथा स्वीच ऑफ शुदा डीवीआर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर महिला हैड कानि. ने बताया कि परिवादिया के कहेनुसार हम दोनों ने उनके घर पर मुकिम रहकर संदिग्ध अधिकारी के आने का इंतजार किया लेकिन संदिग्ध अधिकारी परिवादिया के घर पर उपस्थित नहीं आने पर आपके निर्देशानुसार वहां से फारिक हो पुनः उपस्थित आये है। जिस पर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 01.07.2026 वक्त 0850 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अलमारी में अपने पास सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकालकर श्रीमती मधुमति हैड कानि. को सुपुर्द कर महिला हैड कानि. व श्री भूरसिंह हैड कानि. को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु परिवादिया के घर के लिए रवाना किया गया। उसी रोज वक्त 0300 पी.एम. पर श्रीमती मधुमति हैड कानि. मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. के मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष ब्यूरो चौकी में उपस्थित आये तथा स्वीच ऑफ शुदा डीवीआर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर महिला हैड कानि. ने बताया कि परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ द्वारा आरोपी अधिकारी से जरिये फोन बात करने पर आरोपी द्वारा उन्हें बताया गया कि मैं एमएलसी के लिए अस्पताल जाकर आपको बताता हूं कि आपको अस्पताल आना है कि नहीं। कुछ समय पशचात परिवादिया के पास संदिग्ध अधिकारी का मिस कॉल आने पर परिवादिया द्वारा पुनः फोन कॉल कर वार्ता करने पर आरोपी द्वारा परिवादिया को कहा गया कि कल आप गुलशन कुमार को साथ लेकर प्रातः 9-10 बजे अस्पताल पहुचं जाना मैं आपको वहीं मिलूगां। उक्त वार्ता भी डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गईं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को ऑन कर सुना गया तो श्रीमती मधुमति हैड कानि. द्वारा बताये तथयों की ताईद हुई एवं रिश्वत राशि मांग की वार्ता नहीं होना पायी गई। जिस पर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को मन निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षा की द्रष्टि से अपने पास अलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक किया

गया। दिनांक 02.07.2026 वक्त 0950 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अलमारी में अपने पास सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकालकर श्रीमती मधुमति हैड कानि. को सुपुर्द कर महिला हैड कानि. व श्री भूरसिंह हैड कानि. को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री हरदेवराम द्वारा कल दिनांक 01.07.2026 को परिवादिया से एमडीएम अस्पताल जोधपुर में मिलने के बाद कहने के कारण एवं परिवादिया भी अस्पताल में ही मिलना तय होने के कारण महिला हैड कानि. एवं भूरसिंह हैड कानि. को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु एमडीएम अस्पताल जोधपुर के लिए रवाना किया गया। उसी रोज वक्त 1215 पी.एम. पर श्रीमती मधुमति हैड कानि. मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. के मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष ब्यूरो चौकी में उपस्थित आये तथा स्वीच ऑफ शुदा डीवीआर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर महिला हैड कानि. ने बताया कि परिवादिया व परिवादिया के पति श्री गुल्शन एमडीएम अस्पताल में उपस्थित मिले कुछ समय पशचात आरोपी अधिकारी अस्पताल में उपस्थित आया तथा परिवादिया के पति श्री गुलशन से हाल-चाल पूछकर परिवादिया को कहा कि कल आपके घर पर आकर आराम से बातचीत करेगें इसके अलावा कोई वार्ता नहीं कर अपने काम में व्यस्त हुआ। तथा कुछ समय पश्चात बिना वार्ता किये ही वहां से चला गया है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षा की दृश्टि से अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 03.07.2026 वक्त 0915 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमती मधुमति हैड कानि. हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल से उनके रहवासीय मकान पर जाकर सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ रवाना किया गया। उसी रोज वक्त 0630 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गयी हुई श्रीमती मधुमति हैड कानि. हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. के मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आये तथा स्वीच ऑफ शुदा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि हम दोनों कार्यालय से रवाना होकर परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के रहवासीय मकान नम्बर 07 अमर निवास होटल काशी इन के सामने बासनी जोधपुर पर पहुचें जहां पर परिवादिया अपने पति श्री गुलशन जागीड़ के साथ उपस्थित मिली परिवादिया ने बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के बारे में हरदेवराम वार्ता करने हेतु कभी भी मेरे घर पर आ सकता है। जिस पर मन महिला हैड कानि. द्वारा परिवादिया को आवशयक समझाईश कर हिदायत किया गया कि जब भी श्री हरदेवराम एएसआई घर पर आकर डोर बेल या दरवाजा बजाये/खटखटाये तो, दरवाजा खोलने से पूर्व हमें बताये ताकि वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डीवीआर चालुकर आपको सुपुर्द किया जा सकें। ताबाद मन महिला हैड कानि. एवं श्री भुरसिंह हैड कानि. के परिवादिया के रहवासीय मकान के एक कमरे में ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए संदिग्ध कर्मचारी के आने के इन्तजार में व्यस्त हुए। वक्त 0430 पीएम पर संदिग्ध कर्मचारी श्री हरदेवराम एएसआई परिवादिया के घर पर आकर दरवाजा खटखटाने पर, परिवादिया ने जाली में से देखकर हमें सूचित किया गया जिस पर मन महिला हैड कानि. द्वारा डीवीआर का स्वीच ऑन कर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के आवश्यक हिदायत के साथ परिवादिया को सुपुर्द किया एवं मैनें व श्री भूरसिंह हैड कानि. ने पुनः उसी कमरें में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादिया का इन्तजार किया। कुछ समय वार्ता करने के पशचात संदिग्ध कर्मचारी पुनः परिवादिया के घर से निकलने के बाद परिवादिया ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू हालत में लाकर मन महिला हैड कानि. को सुपुर्द किया जिसको मैनें स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादिया ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री हरदेवराम एएसआई से मेरी व मेरे पति श्री गुलशन की हमारे मुकदमें के बारे में वार्ता हुई, वार्ता के दौरान श्री हरदेवराम ने पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि 50,000 रूपये देने की बात कही। जिस पर मेरे द्वारा 5-10 हजार रूपये राशि कम करने का निवेदन करने पर श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा मेरे पति द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में मदद करने एवं मेरे पति व अन्य के विरूद्ध विरोधी पक्ष द्वारा क्रॉस में दर्ज करवाये गये मुकदमें में से व्यक्तियों नाम निकलवाने/एफआर देने की एवज में 40,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ एवं मांगी गई रिश्वत राशि एक-दो दिन में देने की बात तय हुई है। ताबाद आपके निर्देशानुसार परिवादिया व उनके पति को गोपनीयता की हिदायत देकर एवं रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सोमवार दिनांक 06.07.2026 को प्रातः 10 एएम पर कार्यालय पहुचने के लिए पाबन्द कर उन्हें वहीं छोड़कर मैं व भूरसिंह हैड कानि. मय डिवीआर स्वीचऑफ शुदा उपस्थित आये है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को रिवर्स कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो महिला हैड कानि. श्रीमती मधुमति के द्वारा बताये गये तथयों की ताईद होकर परिवादिया के जायज काम की एवज में संदिग्ध अधिकारी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा 40,000 रूपये बतौर रिश्वत राशि मांगने की पुश्टि हुई। चूंकि रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान एसओ द्वारा तय की गई राषि एक-दो दिन में देने की बात कही है इसलिए अग्रीम ट्रैप कार्यवाही सोमवार दिनांक 06.07.2026 को करने का निर्णय लिया गया। एवं आज परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल व उसके पति श्री गुलशन जागीड़ व आरोपी अधिकारी श्री हरदेवराम एएसआई के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है की आईन्दा रूबरू गवाहान फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 29.06.2026 को एवं दिनांक 01.07.2026 को परिवादिया एवं परिवादिया के पति एवं आरोपी अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई टेलीफोनिक वार्ता जो उक्त मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है मगर रिश्वत राशि मांग सत्यान वार्ता नहीं होने के कारण ट्रान्सक्रिप्ट नहीं बनाने का

निर्णय लिया गया। तत्पशचात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को अपने अलमारी में सुरक्षित रखकर अलमारी को लॉक किया गया। दिनांक 06.07.2026 वक्त 1030 एएम पर स्वतंत्र गवाहान तलबी हेतु अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थय अभियंािित्रकी विभाग वृत्त जोधपुर के नाम तेहरीर जारी कर गणेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर दो कार्मिकों की तलबी की गई। उपस्थित आये कार्मिकों को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उन्हें बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर बारी-बारी उनका परिचय पूछा जाने पर एक कार्मिक ने अपना नाम विक्रम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह उम्र 42 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी गांव साथीन तहसील पीपाड़ षहर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर मोबाईल नम्बर व दूसरे ने अपना परिचय ज्ञानेश्वर पुरोहित पुत्र श्री ओमप्रकाश पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी सी 97 वैशाली टाउनशिप गंगाणा रोड़ जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर मोबाईल नम्बर के रूप में दिया गया। उसी रोज वक्त 1145 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित आयी तथा मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि आज प्रातः 0900 बजे आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के मोबाईल नम्बर से मेरे पति गुलशन जागीड़ के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि की व्यवस्था होने के बारे में पूछा गया तो मेरे पति ने दिन में व्यवस्था कर पुनः फोन करने हेतु उन्हें कहा गया है। तत्पशचात परिवादिया द्वारा आरोपी अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000 रूपये साथ लेकर आई हूं। जिस पर कार्यालय में उपस्थित दोनों कार्मिको का आपस में परिचय करवाकर परिवादिया द्वारा दिनांक 29.06.2026 को प्रस्तुत शिकायत पढ़कर दोनों कार्मिको सुनाई गई एवं पढ़ाई गई एवम दिनांक 03.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादीया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, उनके पति गुलशन जागिड़ व आरोपी श्री हरदेवराम सउनि पुलिस के मध्य हुई वार्ता जो डीवीआर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड है, के मुख्य-मुख्य अंश सुनवाये गये जिस पर दोनो कार्मिको द्वारा परिवादीया से तसली से पुछताछ कर ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमती दी गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादिया प्रार्थीया प्रियंका पत्नि गुलशन जागिड (सुथार) उम्र 31 साल पेशा गृहणी निवासी-7, अमर निवास opp होटल काशी इन बासनी जोधपुर द्वारा आरोपी श्री हरदेवराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना शास्त्रीनगर जोधपुर आयुक्तालय जोधपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि मन् उमेश विशनोई निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादीया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 80 नोट, कुल राशि 40,000/-रूपये पेश किये। परिवादिया श्रीमती प्रियंका द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- 01.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 पीए 728968 02. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 एलबी 576417 03. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 एस एच 370963 04. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 सी एन 253727 05.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 के यु 025274 06. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 टी जी 739680 07. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 सी ए 246228 08. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 एन बी 716148 09. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 एच सी 646992 10. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 आर के 952772 11. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 बी सी 941630 12. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 एन सी 041952 13. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 टी टी 373994 14.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 जी एन 541592 15. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 के एम 379071 16. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 के पी 043045 17.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 एल यु 041466 18.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 वी एन 480913 19. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 क्यू एन 377469 20.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 डी यु 826235 21.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 पी एस 556145 22. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 यु जी 463411 23.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 सी यु 339053 24. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 एम एम् 393431 25.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 ए इ 464204 26.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 जी वी 540820 27.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 पी ऍफ़ 954264 28.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 वी क्यू 378966 29.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 आर एच 774067 30. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 यूपी 951297 31. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 डब्ल्यू यु 671679 32.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 के आर 702392 33.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 एस एस 301598 34.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 डी ए 126590 35. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 एन सी 544846 36.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 एस इ 985157 37.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 टी क्यू 305934 38. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 के क्यू 705263 39.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 ऍफ़ एम् 657202 40. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट

नंबर 1 एच ए 731408 41.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 एस ऍफ़ 806616 42.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 जी टी 769146 43.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 एम् पी 417342 44. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 जी क्यू 443168 45.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 टी वी 941386 46.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 एन पी 736925 47.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 टी डी 419245 48.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 क्यू टी 379948 49.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9टीसी 078220 50.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 डी एम् 180175 51.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 एल आर 663071 52.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 एल आर 663072 53.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 क्यू जी 415659 54. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 ऍफ़ आर 280963 55.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 डब्ल्यू डी 640433 56.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 यु डी 548308 57.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 के एच 457713 58.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 बी एम 273673 59.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 सी एच 075921 60.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 यु डी 553158 61.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 क्यू जी 843691 62.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 डी एम 083930 63. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 के एस 060691 64.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 एच ए 843760 65.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 ऍफ़ क्यू 860540 66.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 टी टी 683646 67. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 एच एन 524337 68.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 ए बी 990373 69.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 एम् एन 064904 70.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 एल एम् 358288 71. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 ए टी 827864 72.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 एच इ 236124 73.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 डी एन 305611 74. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 एच सी 953887 75.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 पी इ 730477 76.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 आर एल 624858 77.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 के ए 134796 78.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 एन एन 945808 79.भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 7बी एम 398141 80. भारतीय मुद्रा का 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 डी एन 789136 श्रीमती सुशिला महिला कानि.103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 40,000/-रूपये के नोटो को श्रीमती सुशिला महिला कानि.103 को सुपुर्द कर उक्त नोटों को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादीया श्रीमती प्रिेयंका अग्रवाल की जामा तलाशी एवं उनके पास हैण्ड बेग की खाना तलाशी श्रीमती मधुमती महिला हैड कानि 89 स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित की उपस्थिति में लिरवाई जाकर मोबाईल फोन को उनके पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि परिवादीया के पास व हैण्ड बेग में नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 40,000/-रूपये जो श्री हरदेवराम सहायक उप निरीक्षक को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादीया श्रीमती प्रिंयका के हैंड बेग में 500-500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000/-रूपये को श्रीमती सुशिला महिला कानि 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादीया श्रीमती प्रिंयका को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि को रास्ते में छुए नहीं तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि अपने हैण्ड बेग में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। रिश्वत राशि का आदान-प्रदान हो जाने के पशचात ट्रैप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् उमेश विशनोई निरीक्षक पुलिस भ्रषटाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नंबर
पर मिस कॉल या कॉल कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईशारा करे। तत्पशचात् एक नये प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशिला के बायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। समस्त उपस्थितान को फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशिला महिला कानि 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास एव जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार एव प्लास्टिक की गिलास को श्रीमती सुशिला महिला कानि 103 से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशिला महिला कानि 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि

जहां तक संभव हो परिवादीया व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। समस्त ब्यूरो टीम, परिवादीया व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं मोबाईल फोन को पास में रहने दिया गया । कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। लिहाजा फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढ़ाई गई। पढ़कर समझकर सही होना मानकर सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त 0137 पी.एम. मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगा मैमोरी कार्ड निकालकर एक लिफाफे में डालकर सुरक्षित अपने पास रखा तथा डीवीआर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान व परिवादीया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल ब्यूरो दल सदस्य श्री रामकिशोर सउनि पुलिस, श्रीमती मुधमती मुख्य आरक्षक नं0 89, श्री अचलाराम मुख्य आरक्षक नं0 67, श्री प्रकाश कानि नं0 265, श्री गणेश कानि नं0 219, जगदीश कानि नं0 437, देवाराम कानि नं0 373 मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री व ब्यूरो का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड तथा परिवादीया की शिकायत पत्रावली के सरकारी वाहन मय चालक प्रेमसिंह व मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के निवास- अमर निवास होटल काशी इन बासनी जोधपुर के लिए रवाना होकर वक्त 0155 पी.एम. पर परिवादिया के रहवासीय मकान से थोड़ा पहले पहुंचा, जहां सड़क के एक ओर वाहनों का रूकवाकर सम्पूर्ण जाब्ते को ब्रीफ कर मुख्य आरक्षक श्री अचलाराम, श्री प्रकाश कानि. श्री जगदीश कानि. श्री देवाराम कानि. सरकारी वाहन व चालक के उक्त स्थान से करीब 400 मीटर दूरी पर गोपनीय रूप से वाहन को खड़ा कर मन निरीक्षक पुलिस के फोन के इन्ताजर में खड़ा रहने हेतु हिदायत कर रवाना किया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने निजी वाहन को गोपनीय स्थान को खड़ा कर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामकिशोर एएसआई, श्रीमती मधुमति हैड कानि एवं श्री गणेश कुमार कानि. के परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के साथ उनके घर में प्रवेश हुए। परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ घर पर उपस्थित मिले। वक्त 0301 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादिया के कहेनुसार उनके पति श्री गुलशन जागीड़ के मोबाईल नम्बर का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई वार्ता के दौरान आरोपी द्वारा घण्टे-डेढ घण्टे में उनके घर आने हेतु कहा गया। उक्त वार्ता ब्यूरो के साथ लाये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। तत्पष्चात मन निरीक्षक पुलिस हमरायान के परिवादिया के घर में ही एक कमरे में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी अधिकारी के आने ईन्जार में व्यस्त हुए। वक्त 0350 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के घर का दरवाजा नॉक होने पर परिवादिया द्वारा जाली में से देखकर मन निरीक्षक पुलिस को सूचित किया कि आरोपी अधिकारी घर के दरवाजे पर उपस्थित आ चुका है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को ऑन कर परिवादिया को आवशयक हिदायत के साथ सुपुर्द कर मन निरीक्षक पुलिस मय हमारायन के पुनः कमरे में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादिया के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। तत्पश्चात वक्त 0455 पी.एम. पर दर्ज रहे कि पूर्व में वक्त 0401 पी.एम. पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादिया श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री गुलशन जागिड़ (सुथार) उम्र 31 साल पेशा गृहणी निवासी-7, अमर निवास opp होटल काशी इन बासनी जोधपुर ने अपने घर में स्थित अपने कमरे से बाहर आकर दूसरे कमरे में मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री हरदेवराम एएसआई ने मांगकर पैसें प्राप्त कर लिये है जिस पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान एवं श्रीमती मधुमति महिला हैड कानि. एवं श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस के परिवादिया के कमरे में प्रवेश हुए एवं पूर्व में परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को सुपुर्द किया ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को प्राप्त कर, डिवीआर को स्वीच ऑफ कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात कमरे में पलंग पर श्री गुलशन जागीड़ पैरों पर पट्टी किया हुआ सो रहा था तथा पास ही एक कुर्सी पर एक व्यक्ति भूरे रंग की पेन्ट एवं क्रिम कलर का शर्ट पहने हुए बैठा मिला। पास ही खड़ी परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री हरदेवराम एएसआई है जिन्होनें अभी-अभी हमारे द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में मदद करने एवं विरोधी पक्ष द्वारा हमारे खिलाफ दर्ज करवाये गये मुकदमें में एफआर देने की एवज में 40,000 रूपये बतौर रिश्वत मांगकर, प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बायीं जेब में रखे है। जिस पर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस हमरा ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उनका परिचय पूछने पर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरदेवराम पुत्र स्वर्गीय श्री मंगलाराम उम्र 54 वर्श जाति मेघवाल पेशा सरकारी नौकरी निवासी गांव ताम्बड़िया पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर होना बताया। जिस पर परिवादिया श्रीमती प्रियंका की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हो तथा अभी-अभी कोई राशि इनसे प्राप्त की है। जिस पर श्री हरदेवराम एएसआई ने कहा कि हां मैं इसे जानता हूं यह श्री गुलशन जागीड़ की पत्नी है। श्री गुलशन जागीड़ द्वारा अपने साथ मारपीट होने का एक मुकदमा संख्या 94/2026 एवं विरोधी पक्ष द्वारा श्री गुलशन कुमार व अन्य के विरूद्ध मुकदमा संख्या 93/2026 पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर में दर्ज करवा रखें है। जिनका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उक्त मुकदमों में बातचीत करने हेतु मैं आज इनके घर पर आया

एवं मुकदमें समन्ध में बातचीत की तथा गुलशन की पत्नी श्रीमती प्रियंका ने मुझे आज राशि दी है, जो मैनें मेरी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बायीं जेब में रखी है। जिस पर आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई से पूछा गया कि आप द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि आपके लिए प्राप्त किये है या सीआई या अन्य अधिकारी के लिए प्राप्त की है, तब आरोपी ने कहा कि मैनें श्री गुलशन की पत्नी श्रीमती प्रियंका अग्रवाल या गुलशन स्वयं से कोई राशि की मांग नहीं की है। इन्होनें आगे होकर मुझे राशि दी है तथा मैनें स्वयं या किसी अधिकारी के लिए राशि मांगकर प्राप्त नहीं की है। जिस पर पास ही खड़ी परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल ने आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूठ बोल रहे है मेरे पति के साथ मारपीट होने पर प्रकरण संख्या 94/2026 पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर में दर्ज करवाया था जिसके जांच अधिकारी श्री हरदेवराम जी है। आज से करीब 9-10 दिन पहले मेरे पति के बयान के लिए श्री हरदेवराम जी मेरे घर पर आये थे। बयान लेने के बाद श्री हरदेवराम एएसआई ने मेरे पति को जेल का भय दिखाकर खर्चा-पानी मांगने पर मेरे पति के कहेनुसार मैनें 5000 रूपये उसी समय इन्हें दिये थे। तत्पश्चात श्री हरदेवराम जी ने मेरे पति को फोन कर थाने पर बुलाया तथा कहा कि आपके विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मुल्जिमानों के नाम निकालने की एवज में सीआई साहब के लिए 50,000 रूपये देने होगें। उक्त बात मेरे पति श्री गुलशन जागीड़ ने घर पर आकर मुझे बताने पर मैनें श्री हरदेवराम एएसआई से फोन कर वार्ता की तो उन्होने मेरे पति के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में नाम निकालने या एफआर देने की एवज में 50,000 रूपये की मांग की साथ ही राशि नहीं देने पर मेरे पति को तीन माह की जेल होने की धमकी दी तथा दिनांक 03.07.2026 को भी श्री हरदेवराम एएसआई मेरे घर पर आकर मेरे पति के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में एफआर लगाने एवं मेरे पति द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें चालान करने की एवज में 50,000 रूपये की मांग की गईं तथा मेरे पति व मेरे द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 40,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए। जो तय की गई रिश्वत राशि आज श्री हरदेवराम एएसआई ने मेरे घर पर आकर मेरे पति श्री गुलशन की उपस्थिति में तय ही गई राशि 40,000 रूपये बतौर रिश्वत राशि मांगकर, प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बायीं जेब में रखे है। साथ ही श्री गुलशन से पूछने पर श्री गुलशन कुमार ने भी अपनी पत्नी द्वारा बताये तथयों की ताईद की जिस पर उक्त स्थान परिवादिया का घर होकर, परिवार के अन्य सदस्य एवं मेहमानों की उपस्थिति में अग्रीम कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण सुरक्षित स्थान पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर अग्रीम कार्यवाही पास ही स्थिति महिला पुलिस थाना पश्चिम आयुतालय जोधपुर में करने का निर्णय लिया गया। चूंकि परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ मारपीट से घायल होकर दोनों पैरों से फैक्चर होकर प्लास्टर हो रखा है तथा चलने में असमर्थ होने के कारण पूर्व में ही समस्त कार्यवाही करने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को अधिकृत कर रखा है। इसलिए आरोपी श्री हरदेवराम द्वारा रिश्वत राशि उनकी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में होना सुनिष्चित कर दोनों हाथ सुरक्षा की दृश्टि से जाब्ते से पकड़वाये गये तथा परिवादिया के पति श्री गुलशन को घर पर छोड़कर हमरा दस्तयाब शुदा आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान के मन निरीक्षक पुलिस सरकारी गाड़ी एवं निजी वाहन से परिवादिया के घर से रवाना होकर महिला पुलिस थाना पश्चिम आयुक्तालय जोधपुर पहुचें जहां पर उपस्थित थानाधिकारी से मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर थाने के स्वागत कक्ष में आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के हाथ धोवन एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की गई जिसकी फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन मुर्तिब की जाकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 0730 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री हरदेवराम पुत्र स्वर्गीय श्री मंगलाराम जाति मेघवाल उम्र 54 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी ग्राम ताम्बड़िया कल्ला पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर हाल निवासी सरकारी क्वार्टर नम्बर 24 पुलिस थाना शास्त्रीनगर परिसर आयुक्तालय जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर फर्द गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकारी की सूचना धारा 36 (ग), 38 एवं 47 बीएनएसएस 2023 के तहत दी गई। एवं धारा 35(1)(ख)(2) बीएनएसएस 2023 के तहत चैक लिस्ट तैयार की गई एवं धारा 48 बीनएसएस 2023 के तहत नामित व्यक्ति उनकी पत्नी श्रीमती कंवरी देवी को सूचित किया गया एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी मीमो तैयार कर रूबरू स्वतंत्र मौतबिरान के गिरफ्तार किया गया। वक्त 0805 पी.एम. पर रात्रि हो जाने के कारण घटना स्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका कल दिनांक 07.07.2026 को मुर्तिब करने का निर्णय लिया एवं परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को कल दिनांक 07.07.2026 को प्रातः 07 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर वहीं से रूखसत किया गया ताबाद मन निरीक्षक पुलिस हमरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री हरदेवराम एएसआई फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं बरामदा रिश्वत राशि, लिये गये प्रादर्श शिल्ड शुदा, डीवीआर मय मैमोरी कार्ड तथा ट्रैप बॉक्स एवं ट्रैप सामग्री के मय समस्त ब्यूरो जाब्ता एवं दोनों स्वतंत्र मौतबिरान के निजी एवं एवं सरकारी वाहन से महिला पुलिस थाना पश्चिम आयुक्तालय जोधपुर से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुआ। वक्त 0825 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा रवाना शुदा समस्त हमारायान के ब्यूरो कार्यालय पहुचां प्रकरण में जब्त किये गये प्रादर्श आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के दोनों हाथों का लिया धोवन की शिल्ड शुदा शीशिया क्रमश आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1 एलएच-2 बरामदा रिश्वत राशि 40,000 रूपये शिल्ड चिट शुदा, आरोपी की जामा तलाशी मे मिला एक काले रंग का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन उक्त मोबाईल

फोन में एक एयरटेल कम्पनी की सिम लगी हुई है जिसके नम्बर एवं आईएमईआई नम्बर 1. है। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की साईड की बायीं जेब में एवं उसमें मिला रूमाल का लिया गया धोवन शिल्ड शुदा शीशिया मार्क पी-01, पी-02, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई पेन्ट एवं उसमें मिले रूमाल का एक शिल्ड शुदा कपडे़ की थैली का पैकेट तथा बरामदगी स्थल धोवन लेने में प्रयुक्त की गई चिन्दी का एक कपड़े की थैली में शिल्डा शुदा पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तथा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड एवं वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड जो लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखा गया को मन निरीक्षक पुलिस के अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पष्चात वक्त 0930 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 07.07.2026 को प्रातः 07 एएम पर ब्यूरो चौकी में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया। वक्त 0935 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अयूब खां उप निरीक्षक पुलिस हमरा कानि. जगदीश को गिरफ्तार शुदा एएसआई श्री हरदेवराम एएसआई का स्वास्थय परीक्षण करवाकर थाने की हवालात में सुरक्षित जमा करवाया गया। एवं स्वास्थय परीक्षण रिपोर्ट एसआई द्वारा पेश की जो शामिल रनिंग नोट की गई। दिनांक 07.07.2026 वक्त 0805 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल ब्यूरो चौकी उपस्थित आयी। इसी दरम्यान दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विक्रमसिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक उपस्थित आये। वक्त 0930 एएम पर मन निरीक्षक पुलिस को आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई को पुलिस थाना उदयमंदिर की हवालात से लाने के लिए श्री अयूबखां उप निरीक्षक पुलिस हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. मय सरकारी वाहन चालक के रवाना किया गया। वक्त 0955 एएम पर उपरोक्त फिकरा के गया हुए श्री अयूबखां उप निरीक्षक पुलिस हमरा श्री भूरसिंह हैड कानि. के एवं गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री हरदेवराम एएसआई मय सरकारी वाहन चालक के ब्यूरो चौकी लेकर उपस्थित आये। गिरफतार शुदा मुल्जिम की निगरानी मामूर की गई। दिनांक 07.07.2026 वक्त 1002 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान एवं परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को साथ लेकर मय सरकारी वाहन चालक श्री प्रेमसिंह के घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के घर के लिए रवाना होकर वक्त परिवादी के घर पर पहुचां एवं वक्त 1020 ए.एम. पर दोनों स्वंतत्र गवाहान के रूबरू परिवादिया की निशा देही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटना स्थल एवं हालात नक्षा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद घटनास्थल निरीक्षण के मौके से मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के रवाना होकर कार्यालय पहुचा। तत्पश्चात वक्त 1100 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान एवं परिवादिया की उपस्थिति में दिनांक 03.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ तथा आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के मध्य हुई रूबरू वार्ता जो एक मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त मैमोरी कार्ड एक लिफाफे में डालकर मन निरीक्षक पुलिस के पास अलमारी में सुरक्षित रखा गया है को बाहर निकालकर एक नये डीवीआर में डालकर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से कार्यालय के लेपटॉप से जुड़वाकर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजूदगी में रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन, समझ-समझ हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की गई। एवं मूल मैमोरी कार्ड की लेपटॉप के माध्यम से हैज वैल्यू निकलवाई जाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में अंकित करवाई गईं। रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादिया श्रीमती प्रियका अग्रवाल ने अपनी स्वयं की आवाज, दूसरी आवाज अपने पति श्री गुलशन जागीड़ व तीसरी आवाज आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई की होने की पहचान की गई । उक्त मूल मैमोरी कार्ड से ही लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार किये गये जो डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली को शिल्ड मोहर किया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। शिल्ड शुदा मूल मेमोरी कार्ड एवं डब दो पेन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये । वक्त 0250 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान एवं परिवादिया की उपस्थिति में दिनांक 06.07.2026 को परिवादिया के पति गुलशन व आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के मध्य हुई वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व टेलीफोनिक वार्ता तथा परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ व आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के मध्य हुई वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू हुई वार्ता जो डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त डीवीआर जो मन निरीक्षक पुलिस के पास अलमारी में सुरक्षित रखा गया है को बाहर निकालकर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से कार्यालय के लेपटॉप से जुड़वाकर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजूदगी में रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन, समझ-समझ हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वक्त रिशवत राशि लेन-देन वार्ता मुर्तिब की गई। एवं मूल मैमोरी कार्ड की लेपटॉप के माध्यम से हैज वैल्यू निकलवाई जाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वक्त रिशवत राशि लेन-देन वार्ता में अंकित करवाई गईं। रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादिया श्रीमती प्रियका अग्रवाल ने अपनी स्वयं की आवाज, दूसरी आवाज अपने पति श्री गुलशन जागीड़ व तीसरी आवाज आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई की होने की पहचान की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड से ही लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार किये गये जो डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड को

एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली को शिल्ड मोहर किया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। शिल्ड शुदा मूल मेमोरी कार्ड एवं डब दो पेन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गयें। वक्त 0350 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा वक्त ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई के रहवासीय बैरक व अलमारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर की खाना तलाशी में गये श्री किशन सिंह उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को जरिये फोन प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 93/2026 व 94/2026 की पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त प्रकरणों की पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतियां थानाधिकारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर के पत्रांक 1478 दिनांक 06.07.2026 से किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त की जाकर पेश की। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। वक्त 0355 पी.एम. पर तलबिदा शुदा श्री जुल्फीकार निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। जिनको मन निरीक्षक पुलिस को परिवादिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं वक्त रिशवत राशि मांग सत्यापन एवं वक्त रिशवत राशि लेन-देन आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा परिवादिया से रिशवत राशि उनके नाम से मांगना तथा प्रकरण में एफआर उनके द्वारा लगाने की एवज में राशि उनके लिए प्राप्त करने के बारे में स्पष्टिकरण पूछा गया जिस पर श्री जुल्फीकार निरीक्षक पुलिस ने अपने स्पष्टिकरण में बताया कि पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर में परिवादी श्री मानसिंह की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 93/2026 आरोपी श्री गुलशन जागीड़ एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा परिवादी श्री गुलशन की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 94/2026 दिनांक 01.06.2026 को मानसिंह वगैरहा के विरूद्ध दर्ज किया गया। प्रकरण संख्या 93/2026 की प्रथम सूचना मन थानाधिकारी के समक्ष पेश होने पर प्ठाकन मेरे द्वारा किया जाकर अग्रीम अनुसंधान श्री हरदेवराम एएसआई के हवाले किया गया। तथा प्रकरण संख्या 94/2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट मन थानाधिकारी थाने से बाहर होने के कारण श्री चेतन कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा पृश्ठाकंन कर अपने हस्ताक्षर कर अग्रीम अनुसंधान श्री हरदेवराम एएसआई के जिम्में किया गया। उक्त प्रकरण आपस में क्रॉस में दर्ज होने के कारण एक ही अनुसंधान अधिकारी के जिम्में किये गये जो प्रकरण आज भी श्री हरदेवराम एएसआई के पास जैर अनुसंधान है। प्रकरण के अनुसंधान के विलम्ब के बारे में मन निरीक्षक पुलिस के अनुसार उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके पूछने पर बताता हूं कि मैं श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नी श्री गुलशन जागीड़ से कभी नहीं मिला हूं, न ही मैनें किसी राशि आदि की मांग की है, और न ही उनका कोई कार्य या मुकदमा मेरे पास विचाराधीन है। मैं थाने का प्रभारी होकर समस्त मुकदमों का पर्यवेक्षण अधिकारी होने के नाते थाने पर पदस्थापित समस्त अनुसंधान अधिकारी को प्रकरण के अनुसन्धान में दिशा निर्देश देता रहता हूं। श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा कोई राशि की मांग मेरे नाम से की गई है, तो वो अपने स्तर पर की गई हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैनें श्री हरदेवराम एएसआई को किसी कार्य की एवज में किसी से कोई राशि मांगने एवं प्राप्त करने का नहीं कहा है। अब तक की कार्यवाही से परिवादिया श्रीमती प्रियंका के पति श्री गुलशन जागीड़ का अपने पति के विरूद्ध दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में या अन्य किसी कार्य के श्री जुल्फिकार निरीक्षक पुलिस से मिलना, रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि वक्त लेन-देन में श्री जुल्फिकार निरीक्षक पुलिस की कोई वार्ता नहीं होना तथा वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई से पूछा गया कि राशि किसके लिए राशि प्राप्त की गई है जिस पर आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा श्री जुल्फिकार निरीक्षक पुलिस के लिए राशि नहीं लेना का कहना तथा साथ ही पुलिस थाना शास्त्रीनगर में दर्ज प्रकरण हाजा से सम्बन्धित अपराध संख्या 93/2026 एवं 94/2026 का अनुसंधान अधिकारी प्रकरण हाजा के आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई होकर पत्रावलिया भी श्री हरदेवराम एएसआई के पास ही होना जो आरोपी हरदेवराम एएसआई के रहवासीय बैरक खाना तलाशी लेने वाले श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रकार प्रकरण हाजा में श्री जुल्फिकार थानाधिकारी की भूमिका संदिग्ध होना नहीं पायी गई है। मात्र आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा अपने स्तर पर थानाधिकारी के नाम से रिश्वत राशि अपने स्वयं के लिए मांग कर प्राप्त करना पाया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई पुलिस थाना शास्‌्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर द्वारा परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के पति श्री गुलशन जागीड़ द्वारा अपने साथ मारपीट कर हाथ पैर फैक्चर करने वाले के विरूद्ध दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 94/2026 व विरोधी पक्ष द्वारा परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ व अन्य के विरूद्ध क्रॉस दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 93/2026 का प्राप्त प्रकरणों की अनुसधान पत्रावलिया की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार अनुसंधान अधिकारी श्री हरदेवराम एएसआई होना तथा आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा अनुसंधान हेतु परिवादिया के घर पर जाकर बाद अनुसंधान खर्चे-पानी की राशि की मांग कर परिवादिया के पति को जेल का भय दिखाने पर परिवादिया के पति द्वारा परिवादिया को आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई को 5000 रूपये देने हेतु कहने पर परिवादिया द्वारा आरोपी को 5000 रूपये नकद देना तत्पशचात आरोपी द्वारा परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ को फोन कर थाने पर बुलाना जिस पर परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ व श्री सुण्डाराम पुलिस थाना शास्त्रीनगर जाकर आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई से मिलना जिस पर आरोपी एएसआई द्वारा परिवादिया के पति को तीन माह जेल जाने का भय दिखाकर द्वारा श्री सुण्डाराम

अन्य दो का प्रकरण से नाम निकालने की एवज में 50,000 रूपये बतौर रिशवत मांगना उक्त बात परिवादिया के पति द्वारा परिवादिया को बताने पर परिवादिया द्वारा आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई से जरिये फोन वार्ता करने पर आरोपी द्वारा परिवादिया के पति श्री गुलशन जागीड़ द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 94/2026 में मदद करने एवं पति व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 93/2026 में एफआर देने की एवज में 50,000 रूपये रिशवत की मांग करना। दिनांक 03.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई ने परिवादिया के घर पर पहुंचकर परिवादिया श्रीमती प्रियंका अग्रवाल व उनके पति से उपरोक्त कार्य की एवज में 50,000 रूपये रिशवत की मांग करना, जिस पर परिवादिया द्वारा 5-10 हजार रूपये राशि कम करने की विनती करने पर 40,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने के लिए सहमत होना तथा दिनांक 06.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा परिवादिया के जायज काम की एवज में तय की गई रिश्वत राशि घर पर पहुचंकर, मांगकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बायीं जेब में रखना जहां से रूबरू मौतबिरान रिश्वत राशि बरामद कर आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के दोनों हाथों एवं बरामदगी स्थल का विधिवत धोवन लिया गया तो धोवन का रंग क्रमश झाईनुमा, हल्का गुलाबी एवं गहरा गुलाबी होना आदि आपराधिक कृत्य आरोपी श्री हरदेवराम एएसआई द्वारा कारित कर अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृश्टया कारित करना पाया गया। अतः आरोपी श्री हरदेवराम पुत्र स्वर्गीय श्री मंगलाराम जाति मेघवाल उम्र 54 वर्ष पेशा सरकारी नौकरी निवासी ग्राम ताम्बड़िया कल्ला पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (उमेश विशनोई) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री उमेश विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरदेवराम पुत्र स्वर्गीय श्री मंगलाराम जाति मेघवाल उम्र 54 वर्ष पेशा सरकारी नौकरी निवासी ग्राम ताम्बड़िया कल्ला पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्रीनगर आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फलौदी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 136 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1127-30 दिनांक 08.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, आयुक्तालय जोधपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-जोधपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Bhupendra singh **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/07/2026 14:56:21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)